रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98

REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 1998/आषाढ़ 19, 1920
No. 421] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 1998/ASADHA 19, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1998

का. आ. 581(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48), की धारा 7 और 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्से अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग 8 (जिसे इसके बाद पुल कहा गया है) के अहमदाबाद मुंबई खंड में 261/2 से 261/4 कि. मी. के बीच लेवल क्रासिंग के बदले 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज तथा 259/4 से 263/4 कि. मी. तक इसके पहुंच मार्गों के उपयोग के लिए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर यांत्रिक वाहनों पर शुल्क लगाया जाएगा और भुगतान किया जाएगा और मैसर्स अश्विका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि. जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय पायल सिनेमा कंपाउंड, वसाड, ताल: आनन्द, जिला : कैरा 388 306, में है, द्वारा पुल के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए उनके साथ किए गए करार को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा उक्त मैसर्स अश्विका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि. अथवा इसके प्राधिकृत कानूनी प्रतिनिधि को 13 जुलाई, 1998 से 17 अप्रैल, 2000 तक उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क वसूल करने और अपने पास रखने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची
(पुल के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली दरें)

क्रम सं.	वाहनों की श्रेणियां	प्रति वाहन प्रति चक्कर शुल्क दरें रुपयों में
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य कोई दुपहिया यंत्र चालित वाहन	कोई नहीं
2.	मोटर कार, टैक्सी, जीप पिकअप वैन, स्टेशन वैगन, टैम्पू, आटो रिक्शा, तिपहिया स्कूटर अथवा स्वचालित अन्य हल्के वाहन जो ट्रेलर युक्त हों या न हों।	5.00

(1)	(2)	(3)
3.	बस, ट्रक और माल अथवा यात्रियों से लदे ट्रक ट्रेलर संयोजन सहित अन्य भारी वाहन	
	(I) लदे हुए	15.00
	(II) बगैर लदे हुए	15.00
4.	अन्य यंत्र चालित वाहन जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे मोबाइल क्रेन ड्रोजर्स, अर्थ मूअर, रोड रोलर	
	(I) लदे हुए	20.00
	(II) बगैर लदे हुए	20.00

नोट : 1. जब एक ही वाहन को एक दिन में एक से अधिक बार पुल से गुजरना हो तो प्रयोक्ता पहले चक्कर में पुल से गुजरते समय उक्त दरो का डेढ़ गुना भुगतान कर सकता है अथवा यदि वाहन द्वारा पुल से लगातार और बार-बार एक महीने अथवा उससे अधिक लम्बी अवधि के लिए गुजरना हो तो वाहन का मालिक उक्त मैसर्स अश्विका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि. अथवा उसके प्राधिकृत कानूनी प्रतिनिधि को एक बार के शुल्क के 30 गुना के बराबर प्रभारों का भुगतान करके मासिक पास प्राप्त कर सकेगा।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट शुल्क से निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को छूट दी जाती है, अर्थात् :—

(I) रक्षा वाहन

(II) अति विशिष्ट व्यक्तियों के चिह्नों से युक्त वाहन

(III) पुलिस वाहन

(IV) अग्नि शमन वाहन

(V) एम्बूलेंस

(VI) अंतिम संस्कार वाहन

(VII) डाक तथा तार विभाग के वाहन

(VIII) ड्यूटी पर कार्यरत केन्द्र और राज्य सरकार के वाहन

3. निम्नलिखित के साथ सरकारी रूप से संबंधित वाहनों को अति विशिष्ट व्यक्ति चिह्न युक्त वाहन समझा जाएगा;

(I) भारत के राष्ट्रपति

(II) भारत के उपराष्ट्रपति

(III) केन्द्र और राज्यों के मंत्री

(IV) लोकसभा अथवा राज्य सभा अथवा विधान मंडलों में विपक्ष के नेता जिन्हें केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो

(V) राज्यों के राज्यपाल

(VI) संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल

(VII) केन्द्रीय अथवा राज्यों के विधान मण्डलों के सभापति अथवा अध्यक्ष

(VIII) स्थानीय निकायों के चुने हुए कार्यकारी पार्षद

(IX) भारत में राज्य का दौरा कर रहे विदेशी उच्च पदाधिकारी

(X) सी डी चिह्न युक्त कारों का उपयोग करने वाले, भारत में ठहरे हुए विदेशी राजनयिक

उपर्युक्त दरें पुल के निकट सुस्पष्ट स्थानों पर लगाए गए बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएगीं। उक्त मैसर्स अश्विका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड अथवा इसका कानूनी प्रतिनिधि इस अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क की प्रत्येक बार की गई वसूली के लिए भुगतान कर्ता को रसीद देगा।

[सं. आर. डब्ल्यू./एन. एच.-15013/1/94-पी. एल.]

ए. डी. नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Roads Wing)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 1998

S.O. 581(E).—In exercise of powers conferred by sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles, for the use of the part of the National Highway i.e. four lane road over bridge in lieu of level crossing between km 261/2 to km 261/4 including its' approaches from km 259/4 to 263/4 in Ahmedabad Mumbai section of NH 8 (hereinafter referred as the bridge), at the rates specified in Schedule annexed hereto, and having regard to the Agreement entered into with M/s Ashvika Construction Private Limited, having its registered office at Payal Cinema Compound, Vasad, Tal : Anand, Dist : Kaira 388 306, to build, operate and transfer the bridge and for service provided by it, hereby authorise the said M/s Ashvika Construction Private Limited or its authorised legal representative to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule from the 13th July 1998 to 17th April, 2000.

SCHEDULE

(Rates to be recovered from users of the bridge)

Sl. No.	Categories of Vehicles	Fee Rates in Rs. per Vehicle Per Trip
1.	Motor Cycle, Scooter or any other two-wheelers mechanically propelled vehicle.	NIL
2.	Motor Car, Taxi, Jeep, Pick-up Van, Station Wagon, Tempo, auto rickshaws, three wheeler scooters or other Auto driven light vehicles with or without trailer.	5.00
3.	Bus, Truck and other heavy vehicles including Truck Trailer combination laden with goods or passengers, when	
	(i) Loaded	15.00
	(ii) Unloaded	15.00
4.	Other mechanically propelled vehicles not mentioned above such as mobile crane dozers, earth movers, road rollers, when	
	(i) Loaded	20.00
	(ii) Unloaded	20.00

NOTES : 1. When the same vehicle has to cross the bridge more than once in a day, the user shall have the option to pay one and half times the above rates while crossing the bridge in the first trip itself or if the vehicle has to use the bridge continuously and quite frequently for a month or even beyond that for much longer period, the vehicle owner shall be entitled to a monthly pass on the payment of charges equal to thirty times of single rates to the said M/s Ashvika Construction Private Limited or its authorised representative.

2. Following type of vehicles are exempted from the fee specified above, namely :—

(i) Defence vehicles,

(ii) Vehicles with VIP symbols,

(iii) Police vehicles,

(iv) Fire Fighting vehicles,

(v) Ambulances,

(vi) Funeral vans,

(vii) Post and Telegraphs Department vehicles,

(viii) Central and State Government vehicles on duty.

3. The vehicles officially relating to the following shall be deemed to be vehicles having VIP Symbols :—

(i) President of India,

(ii) Vice-President of India,

(iii) Central and State Minister,

(iv) Leaders of Oppositions of Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister,

(v) Governors of States,

(vi) Lieutenant Governors of Union Territories,

(vii) Speakers or Chairman of Central and State Legislatures,

(viii) Executive Councillors of local elected bodies,

(ix) Foreign dignitaries on State visit to India,

(x) Foreign Diplomats Stationed in India using cars with CD symbols.

The above mentioned rates shall be displayed on a board erected at conspicuous places erected in the vicinity of the bridge. The said M/s Ashvika Construction Private Limited or its authorised legal representative shall give a receipt to the payer on each and every occasion of recovery of fee under this notification.

[No. RW/NH-15013/1/94-PL]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1998